Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 6 | ISSUE : 5 | MAY 2020

ग्रामीण महिलाओं की मनरेगा योजना में भूमिका एवं वितीय समावेशन

आसु राम [1]
[1] सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान

ABSTRACT:

हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है किन्तु समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में बदलाव आया और स्त्रियों को अनेक विषमताओं का शिकार होना पड़ा जिससे महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। इस दयनीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत है दोनों ही समय–समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को प्रारम्भ कर चुके है एवं कई योजनाएँ वर्तमान में भी कार्यरत है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम है। प्रस्तुत अध्ययन मनरेगा योजना का महिला सषक्तिकरण पर प्रभाव पर आधारित है।

KEYWORDS:

विकास, सशक्तिकरण, याजनाएं, भागीदारी, महिला।

प्रस्तावना –

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है यह सशक्तिकरण से आशय घर, समाज और राष्ट्र के निर्णय लेने के अधिकार में महिलाओं की हिस्सेदारी।

महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में से ही एक केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में नरेगा कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें रोजगार की गारन्टी प्रदान की जाती है तथा इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारन्टीयुक्त रोजगार प्राप्त करता है। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान तय किये गये हैं। इस अधिनियम में महिलाओं को भी पुरूष के समान वेतन प्रदान किया जाना शामिल है। अतः नरेगा कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर को उठाने में महत्वपूर्ण कदम है।

2005 में पारित अधिनियम में ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो ग्रामीण महिलाओ के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अधिनियम में प्रत्येक नागरिक को 5 कि.मी.के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराने का आवश्यक प्रावधान है तथा मजदूरी के लिए कुछ आवेदकों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। कार्यस्थल पर शिशु गृहों, पेयजल व छाया हेतु छप्पर की व्यवस्था हेतु प्रावधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाए खेती कार्य में संलग्न है। जिसमें एक निश्चित समय के बाद बेरोजगारी का सामना करना पडता है। मनरेगा बेरोजगारी के समय में रोजगार की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है जिससे वे कभी भी अपने लिए रोजगार की मांग कर सकती है। इसके साथ ही ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है जिसमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसी महिलाओं के लिए नरेगा कार्यक्रम बहुत अहम है।

प्राचीन समय में महिलाऐं जहां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार या पति पर निर्भर रहती थी वहीं वर्तमान में नरेगा कार्यक्रम पर निर्भर रहती हैं वहीं वर्तमान में नरेगा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों से पम्परागत मान्यताओं में परिवर्तन आया है और वर्तमान में महिला मजदूरों को पृथक खाते में मजदूरी भुगतान से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है जागरूकता व अधिकारों की रक्षार्थ आवाज उठाने, परिवारिक सोच में बदलाव लाने आदि उनके आर्थिक सरलीकरण को ओर बढ़ाने में बहुत सहायक है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम जेंडर बजटिंग की अवधारणा को आगे बढाने में एक सराहनीय कदम है।

उद्देश्य–

- ग्रामीण महिलाओं की रोजगार में भागीदारी का अध्ययन करना।
- महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका को सिद्ध करना।
- ग्रामीण महिलाओं की रोजगार समस्या को समझना।
- ग्रामीण महिलाओं में वितीय समावेषन का स्तर ज्ञात करना।

परिकल्पनाऐं–

- मनरेगा योजना का ग्रामीण महिलाओं की अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्र में वितीय समावेषन में सुधार आ रहा है।

• विधि तंत्र–

किसी भी शोध कार्य हेतु विधि तंत्र एक व्यवस्थित व तर्कसंगत भाग है। विधि तंत्र में प्रयुक्त तकनीकी व प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। यह शोध कार्य प्राथमिक व द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़ों में मनरेगा वेबसाइट, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों व सूचनाओं को शामिल किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का उपयुक्त विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया है।

• मनरेगा और महिलाओं की भागीदारी–

समग्र स्तर पर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य 33 प्रतिशत से अधिक है। 2015 तक यह 57 प्रतिशत थी। प्राप्त आकड़ों में विभिन्न राज्य स्तरों में महिलाओं की भागीदारी अलग–अलग है। केरल, गोवा तमिलनाडु में सर्वाधिक है। आन्ध्रप्रदेश व हिमाचल प्रदेश में यह भागीदारी उच्च रही है।

राजस्थान में यह भागीदारी 2014–15 में 68.26 प्रतिशत है। महिलाओं की यह उच्च भागीदारी बदलते अधिकार सम्बन्धों का परिचायक है। एक त्वरित जांच से यह जायजा लिया गया है कि महिलाओं की उच्च भागीदारी उच्च महिला साक्षरता दर पर लिंगानुपात में उच्च सामंजस्य दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक राज्य में महिलाओं की भागीदारी का पृथक समूह

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला मानव दिवस का प्रतिशत		
		2012–13	2013–14	2014–15
1	आन्ध्रप्रदेश	58.34	58.68	58.72
2	बिहार	30.63	34.97	37.17

3	छत्तीसगढ़	46.93	48.53	49.87
4	गुजरात	42.86	43.96	43.24
5	हरियाणा	39.86	41.71	41.66
6	हिमाचल प्रदेश	60.69	62.52	61.04
7	झारखण्ड	32.71	31.89	32.06
8	कर्नाटक	46.25	46.59	46.86
9	केरल	92.99	93.37	92.17
10	मध्यप्रदेश	42.42	42.65	43.22
11	महाराष्ट्र	44.55	43.69	43.47
12	पंजाब	46.36	52.74	57.43
13	राजस्थान	68.95	67.76	68.26
14	तमिलनाडू	74.15	8394	85.42
15	उत्तरप्रदेश	19.70	22.17	24.75
16	उत्तराखण्ड	46.93	44.88	50.56
17	पश्चिम बंगाल	33.71	35.55	41.37

स्त्रोत – www.nrega.nic

वर्तमान में विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरें 105–205 के बीच में है इस मजदूरी दर में महिलाऐं मनरेगा में काम करती है और आंशिक सशक्तिकरण के सबसे अच्छे रूप को चुन लेती है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य में अधिकार का तात्पर्य कार्य करने की शक्ति से है जो मनरेगा प्रदान करता है। 2006 से वर्तमान तक यदि महिलाओं की भागीदारी औसत 49.22 प्रतिशत रही है। सारणी में देखा जाए जो जो अधिकांष राज्यों में मनरेगा रोजगार में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है।

- **महिला और वित्तीय समावेशन**

आर्थिक अधिकार और वित्तीय समावेश महिला अधिकारिता और समानता के लिए महत्वपूर्ण है। मनरेगा ने यह सुनिश्चित किया है कि महिला को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जावे। महात्मा गांधी नरेगा एम.आई.एस. के अन्तिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खोले गये खातों तक पहुँच हो। इससे बैंकिंग क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो सकी तथा वे अनौपचारिक ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। इससे उनके निर्णय क्षमता में बदलाव आना स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें कर्जे का समय पर भुगतान न करने पर चुकाया जाना वाला भारी ब्याज से छुटकारा मिलेगा।

मनरेगा के अन्तर्गत महिला लाभार्थी खाते महत्वपूर्ण है और इनका अर्थ है कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक महिलाओं की पहुँच, गरीब महिलाओं और गरीबों के लिए की गई पहल में सहायक की भूमिका निभाती है।

राज्यवार महिला कामगार खाते (आंकड़े 5 मई, 2015 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	खाते सहित लाभार्थी कामगारों की संख्या	खाते सहित महिला लाभार्थी कामगारों की संख्या	खाते सहित महिला लाभार्थी कामगारों का प्रतिशत
1	आन्ध्रप्रदेश	8,082,172	4,102,454	50.76
2	बिहार	5,427,926	1,986,870	36.60
3	छत्तीसगढ़	7,074,240	3,337,656	47.18
4	गुजरात	3,917,929	1,845,313	47.10
5	हरियाणा	1,002,064	410,819	41
6	हिमाचल प्रदेश	1,013,446	535,929	52.88
7	झारखण्ड	3,721,450	1,413,271	37.98
8	कर्नाटक	11,471,580	5,366,556	46.78
9	केरल	2,500,748	1,983,906	79.33
10	मध्यप्रदेश	11,928,104	5,421,164	45.45
11	महाराष्ट्र	5,165,562	2,188,970	42.38
12	पंजाब	1,088,461	488,314	44.86

13	राजस्थान	11,120,501	6,109,465	54.94
14	उतरप्रदेश	12,306,176	2,966,655	24.11
15	उतराखण्ड	957,478	457,814	47.81
16	पश्चिम बंगाल	14,310,438	5,378,546	37.58
17	**कुल**	**125,989,772**	**57,171,054**	**45.38**

स्त्रोत – www.nrega.nic

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाते सहित लाभार्थी कामगारों की संख्या (125,989,772) में से 45.38 प्रतिशत खाते सहित महिला लाभार्थी कामकारों का प्रतिशत है। जो कि कुल कामगारों को संख्या का 57,171,054 है। जो यह स्पष्ट करता है कि महिलाऐं आज अपने खातों के माध्यम से लेनदेन कार्य करने लगी है जो वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **निष्कर्ष**

मनरेगा के माध्यम से महिलाऐं आर्थिक, राजनैतिक रूप से सशक्त हुई है। प्राचीन समय में जहां महिलाओं को आवाज उठाने पर उन्हें भिन्न–भिन्न तरीकों से दबाया जाता था परन्तु महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर महिलाऐं वर्तमान में राजनैतिक रूप से उभर कर अपने लिए न्याय मांगती है तथा वे अपना योगदान ग्राम सभा, ग्राम पंचायत आदि में भली भांति देती है। इससे पता चलता है कि महिलाओं की पहुँच संसाधनों तक होने लगी है तथा शिक्षा स्तर पर सुधार होने लगा है जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है।

REFERENCES

1. बाफना, राजेन्द्रः महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी मैन्यूअल, बाफना पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2011

2. मेहरा, कुसुमः मनरेगा की ग्रामीण विकास में भूमिका, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर 2014

3. शर्मा, जयः नरेगा कार्यस्थल श्रमिकों हेतु सरल भाषा में प्राथमिक उपचार, 2008

4. शर्मा, महेशः महात्मा गांधी नरेगा, प्रभात पब्लिकेशन, दिल्ली

5. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा–द्वितीय– अनुसंधान अध्ययनों का सगृह (2012–14)

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम–2005 एक दशक की उपलब्धि

7. कुरूक्षेत्र मैग्जीन।